प्री.बी.एड.प्रवेश नियम

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय,दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

//अधिसूचना//

क्रमांक 5–5–20/2006 – राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार–इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम 2006 होगा। यह संम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों पर लागू होंगे। यह तत्काल प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएँ इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेरित न हो –

(क) **"राज्य शासन"** से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन।

(ख) **"श्रेणी"** से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।

(ग) **"संवर्ग"** से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक।

(घ) **"प्री बी.एड. परीक्षा"** से तात्पर्य है, बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा।

(ड.) **"संचालक"** से तात्पर्य है, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्।

(च) **"अनुदान प्राप्त महाविद्यालय"** से तात्पर्य है, ऐसा महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन के किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल–अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और "गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय" का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा।

[1](छ) गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय से अभिप्रेत है कि ऐसे महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित करते हों।

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं. 18–44/20/2007 दिनांक 29 मार्च 2007 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

[1](ज) ''ऑनलाइन आंबटन'' से अभिप्रेत है कि प्री.बी.एड. प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो बी.एड.पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय आबंटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को प्री.बी.एड.परीक्षा प्रावीण्यता, महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय का आबंटन किया जाता है।

3. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश –

[2](क) **प्री बी.एड. परीक्षा –** सामान्यतया बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री.बी.एड. की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से ही दिया जायेगा।

(ख) मूल निवासी – राज्य के शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में बी. एड. पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(ग) न्यूनतम आयु–किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री.बी.एड. परीक्षा के वर्ष की 31 दिसंबर अथवा उसके पूर्व की तिथि में 20 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो।

4. प्री.बी.एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं – बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होंगी –

(क) भारत का नागरिक हो।

[3](ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त हो। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संवर्ग के अभ्यार्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंकों में छूट की व्यवस्था होगी।ऐसे अभ्यर्थियों को जो त्रिवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5–5/2006/20–एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
2. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5–5/2006/20–एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
3. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5–5/2006/20–एक दिनांक 9 अगस्त 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

(स्नातक प्राप्तांक निर्धारित अंक से कम होने पर) के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, प्री.बी.एड.परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जायेगा। परंतु उन्हें ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के समय स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय ऐसा प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्री.बी.एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची में होने पर भी उन्हें बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5. **बी.एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण** – बी.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होगीं, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी–वर्टिकल आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत।

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 21 प्रतिशत।

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणियों के जाति प्रमाण के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वंतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत । इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वंतंत्रता संग्राम सैनिक अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत । इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

[1](ग) ''उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों'' एवं 'गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों' में लागू नहीं होंगे।''

6. प्री. बी.एड. परीक्षा –

(क) प्रतिवर्ष बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री. बी.एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री.बी.एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा।

(ग) प्री बी.एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न प्रत्र होगा। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा –

1. सामान्य मानसिक योग्यता – 30 प्रतिशत।
2. सामान्य ज्ञान – 20 प्रतिशत।
3. सामान्य अभिरूचि – 30 प्रतिशत।
4. सामान्य हिन्दी – 10 प्रतिशत।
5. सामान्य अंग्रेजी – 10 प्रतिशत।

(घ) केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ड.) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

(च) प्री. बी.एड. परीक्षा में पुर्नमूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नही की जाएगी।

7. प्रावीण्य सूची – प्री. बी.एड. परीक्षा के प्राप्ताकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक–पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जायेंगी। अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा सामान्य सभी जातियों को शामिल किया जाएगा। प्रावीण्य सूचियाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यार्थियों के लिए पृथक–पृथक बनाई जायेंगी। प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जायेगा। समान प्राप्तांक होने पर भी अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में उपर रखा जाएगा।

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5–5/2006/20–एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

[1] **8. ऑनलाइन आबंटन–**

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आबंटन विधि से किया जावेगा।

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों तथा 350/– रू. (अक्षरी– तीन सौ पचास रूपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होंगे। इन केन्द्रों में अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच होगी।

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।

(ड.) अभ्यर्थियों को महाविद्यालय का आबंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री.बी.एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संचालक द्वारा किया जायेगा।

(च) सीट आबंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी। सीट्स आबंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

(छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आबंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आबंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आबंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आंबटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा।पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।

(ज) महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आबंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

9. **आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश** – आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

---

1. छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं F 5–5/2006/20–एक दिनांक 1 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रति स्थापित।

10. आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश–किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा –

(क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ग) अनुसूचित जाति श्रेणी अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनो के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और बाद में भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरी जाएंगी।

(ड.) सभी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी।

11. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश –

इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी।

12. प्रवेश का निरस्तीकरण – यदि यह पाया जात है कि अभ्यर्थी के महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रारंभिक तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन की अवधि में बिना किसी पूर्वसूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

13. महाविद्यालय की फीस – सभी महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा।

परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया न बन जाए। फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा तथा वे इसकी एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौपेगें तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता को सूचना के लिए प्रदेश के कम कम से दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे।

परंतु यह भी कि महाविद्यालयों को प्री.बी.एड. परीक्षा का प्रास्पेक्ट्स छापने के पूर्व अपनी फीस प्री.बी.एड. एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होंगी, ताकि फीस की जानकारी प्रास्पेक्ट्स में छापी जा सके।

परंतु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी।

14. **नियमों की व्याख्या –** प्रवेश हेतु अभ्यार्थियों के चयन के संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. आलोक शुक्ला)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

द्विवर्षीय बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के लिए

//आवश्यक सूचना//

1. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की तिथि तथा केवल कार्यक्रम का विज्ञापन ही एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट **http://scert.cg.gov.in** में तथा छ.ग. राज्य के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में ऑनलाइन आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के 3–4 दिवस पूर्व देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आबंटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश एस.सी.ई.आर.टी.के वेबसाइट में दिया गया है। इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक कर लेवें।
2. आवश्यक दिशा निर्देश में ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित केन्द्रों की सूची भी दी गई है।
3. पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आबंटन प्रक्रिया शुल्क रु. 350/– चालान के माध्यम से लिया जायेगा। चालान का प्रारूप एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में दिया गया है।
4. अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आबंटन की सूचना डाक द्वारा नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी आबंटन की जानकारी परिषद् के वेबसाइट **http://scert.cg.gov.in** में जाकर **MKCL** के साइट में जाने के लिंक का उपयोग कर **MKCL** के वेबसाइट में अथवा अपने **Login** में विकल्प फार्म क्रमांक/प्री.बी.एड. रोल नम्बर **Submit** कर प्राप्त कर सकते हैं।
5. महाविद्यालय आबंटित होने के बाद अभ्यर्थी को अपने केन्द्र में जाकर अस्थाई सीट्स आबंटन पत्र (प्रवेश सूचना) केन्द्र समन्वयक के हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करना होगा या वह **MKCL** के वेबसाइट **oasis.mkcl.org/cgbed2015** में अपना विकल्प फार्म/प्री. बी.एड. का रोल नम्बर Submit कर आबंटन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सकेगा। आबंटन पत्र के बिना चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परिषद् द्वारा प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को आबंटन पत्र नहीं दिया जायेगा। महाविद्यालय को भी चयनित अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश देना होगा। ऐसा नहीं करने पर महाविद्यालय को आगामी सूची में सीटें रिक्त रहने पर भी छात्र आबंटित नहीं किया जायेगा।
6. राज्य के बाहर के online प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश लेने से पहले संबंधित विश्वविद्यालयों से बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. महाविद्यालय में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, उसके उपरांत ही प्रवेश दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा। गलत/भ्रामक जानकारी देकर प्रवेश लेने पर प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा जिसकी समस्त जवाबदारी अभ्यर्थी की होगी साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा किसी अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने की स्थिति में एस.सी.ई.आर.टी. की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

8. प्रवेश के उपरांत महाविद्यालय परिवर्तन अथवा आपसी स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है।
9. 30 सितम्बर 2015 के पश्चात् सत्र 2015–16 हेतु किसी भी प्रकार की प्रवेश प्रक्रिया नहीं की जावेगी।
10. राज्य के शासकीय/अनुदान प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण छ.ग. शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है। प्रवेश के समय छ.ग. शासन द्वारा लागू आरक्षण नियमों/निर्देशों के अंतर्गत प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
11. समय–समय पर संशोधित नियम एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट http://scert.cg.gov.in में देखे जा सकते हैं।
12. निजी व शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों का प्रवेश शुल्क शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा। इसकी जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट **http://scert.cg.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है।
13. राज्य के अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छ.ग. के SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को सीटों में आरक्षण छ.ग. के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक F9-02/2012/तक.शि./42 दिनांक 19 फरवरी 2013 के अनुसार दिया जायेगा।
14. ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में भाग लेने मात्र से किसी अभ्यर्थी द्वारा सीट आबंटन हेतु दावा नहीं किया जा सकता है।

(संजय कुमार ओझा)
संचालक

प्री.बी.एड. 2015 के लिए पाठ्यक्रम

भाग – 1
सामान्य मानसिक योग्यता

30 अंक

इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नांकित कार्य आते हैं :–

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि।

इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं – विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर क्षेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि–आदि।

भाग – 2
सामान्य ज्ञान

20 अंक

इस प्रश्न पत्र में निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल भूगोल एवं सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर शेष अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे–

1. भारतीय इतिहास :	भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएँ, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास (1857 से 1947)तक,1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ
2. नागरिक शास्त्र/राजनीति विज्ञान	मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक,विविधतायें,राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका,मुख्य संवैधानिक प्रावधान।
3. अर्थशास्त्र	सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
4. भूगोल	हमारी पृथ्वी, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, भारत के राज्य, उनकी भौगोलिक स्थिति।
5. सामान्य विज्ञान	मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता।
6. खेल और शिक्षा,योग शिक्षा,मूल्य शिक्षा	भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग व शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा/पूर्ण साक्षरता अभियान/सतत् शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स, शैक्षिक तकनीक विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण/प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण/ सबके लिए शिक्षा/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व–शिक्षा अभियान,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुप रेखा 2005,सतत् एवं समग्र मूल्यांकन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, दूरस्थ शिक्षा/संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन।

भाग–3
शिक्षण अभिरूचि 30 अंक

शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य व शिक्षा शास्त्र सम्मिलित है –

बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रूचि। इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा।

शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यवकताओं के आधार पर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रुप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों/तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

भाग–4
सामान्य हिन्दी

अ. व्याकरण 10 अंक

- **वर्ण विचार–**

  स्वर,व्यंजन,अक्षर, वर्तनी, लिंग वचन आदि।

- **शब्द रचना–**

  उपसर्ग,प्रत्यय,समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द

- **शब्द विचार–**

  स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग– तत्सम,तद्भव, देशज, विदेशी।

- **अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद–**

  पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी।

- **पद व पद –**

  भेद– संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम,विशेषण, क्रिया, कारक,चिन्हन

- **वाक्य परिचय–**

  वाक्य के अंग, वाक्य के भेद।

- **रचना**–मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ।

- **भाषाई कौशलों का अध्यापन–**

  श्रवण, वाचन,लेखन एवं पठन कौशल

- **विराम चिह्न**– प्रमुख प्रकार

- **व्याकरणीय अशुद्धियाँ**

PART –V

General English **10 Marks**

UNIT –I: GRAMMAR –

1. **SENTENCE**
1.1 Simple, Complex and Compound sentences.
1.2 Subordinate and co-ordinate clauses.
1.3 Transformation of sentences.
2 TENSE
2.1 Simple present,present progressive and present perfect
2.2 Simple past, Past progressive and past perfect.
2.3 Indication of futurity
3 VOICE
4 Narration
5 Modals (will, would, shall, should, ought to, must, have to, can-could, may-might and need)
6 Verb structures (Infinitive and gerundials)
7 Questions Tag
8 Preposition
9 Nouns – counts and non-counts

UNIT – II: VOCABULARY (2)

1. Prefixes and Suffixes
2. One word substitution
3. Synonyms and Antonyms
4. Spellings
5. Derivations

UNIT – III: Reading (3)

Passage with objective questions

UNIT – IV: Writing (3)

Organising skills

(संजय कुमार ओझा)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी, छ.ग.रायपुर

बी.एड. ऑनलाइन आबंटन 2015 हेतु दिशा–निर्देश

राज्य के एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त शासकीय, शिक्षा महाविद्यालयों, अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों एवं गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम 2015–16 में प्रवेश प्री. बी.एड. 2015 की प्रावीण्य सूची के आधार पर ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाना है। ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया हेतु विस्तृत जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में दी जा रही है। प्री.बी.एड. परीक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात् छ.ग. राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक अखबारों में केवल आबंटन प्रक्रिया का कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा। आबंटन कार्यक्रम की जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर के बेवसाइट http://scert.cg.gov.in में भी उपलब्ध होगी।

आबंटन प्रक्रिया हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं –

1. बी.एड. / डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता :–

बी.एड. पाठ्यक्रम – बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक / स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होगें। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बी.एड.प्रवेश नियम के अनुसार अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा। स्नातक में आनर्स वाले प्रकरण में अभ्यर्थी को स्नातक में एकीकृत प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता दी जावेगी।

2. विकल्प फार्म भरने के आवश्यक दस्तावेज –

बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु :– बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विकल्प फार्म भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूलप्रति व सत्यापित छायाप्रति के साथ अपने पास के तथा अपनी सुविधा के अनुसार MKCL केन्द्र में उपस्थित होंगे –

I. 350 / – की प्रक्रिया शुल्क के चालान की संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर की प्रति। प्रक्रिया शुल्क एस.सी.ई.आर.टी. के SBI **पावर ज्योति एकाउन्ट क्रमांक 32402468895** में चालान के माध्यम से जमा होगा। चालान का प्रारूप एस.सी.ई.आर.टी.के वेबसाइट में दिया गया है। यह चालान एक बार जमा करने के बाद किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा।

II. प्री. बी.एड. परीक्षा 2015 की अंकसूची (इंटरनेट वाली अंकसूची भी मान्य है)

III. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि की) एकीकृत प्राप्तांक की गणना हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त है तो तीनों वर्षो की अंकसूची और यदि स्नातकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नातकोत्तर के दोनों वर्षो की अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।

IV. जन्मतिथि हेतु 10वीं / 12वीं की अंकसूची या प्राधिकारी / संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।

V. आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।

VI. छ.ग. शासन प्रवेश नियम 2006 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। इसके अभाव में अभ्यर्थी को अखिल भारतीय कोटे के लिए आबंटन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।

VII. नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथपत्र। (प्री.बी.एड./प्री.डी.एड. परीक्षा फार्म में दिये गये नाम में परिवर्तन मान्य नहीं होगा)

VIII. एक पासपोर्ट साइज का फोटो।

<u>MKCL केन्द्रों के नाम व पता</u>

3. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने का स्थान :– बी.एड. के लिए प्री.बी.एड.परीक्षा 2015 में में बैठे ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु छ.ग. बी.एड. प्रवेश नियम 2006 प्रवेश नियम 2007 के अनुसार अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें बी.एड. (जो लागू हो) पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकता है, MKCL के निम्नलिखित केन्द्रों में ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित दिवसों में प्रातः 9.30 बजे से संध्या 5.30 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विकल्प फार्म भर सकते हैं–

क्र.	विकल्प फार्म भरने हेतु MKCL केन्द्र के नाम व पता	जिला	शहर	दूरभाष नंबर
1.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	07774–230799
2.	ग्लोबल मल्टीमीडिया हनुमान मंदिर के पास डी.सी. रोड़	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	78692–93997 97536–45205
3.	आदर्श एकेडमी ऑफ आई.टी. मुस्कान भवन, न्यू सरकंडा	बिलासपुर	बिलासपुर	88238–10489
4.	जी.टी.बी. एकेडमी, हनुमान मंदिर के पास नेहरू नगर बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	07752–271311 93000–21347
5.	एम्स कम्प्यूटर, डी.पी.विप्र कॉलेज के पास हाईकोर्ट रोड	बिलासपुर	बिलासपुर	07752–407578
6.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा	बिलासपुर	बिलासपुर पेन्ड्रा	07751–224718
7.	डी.टेक कम्प्यूटरर्स, बी.एस.एन.एल ऑफिस के सामने राजकिशोरनगर	बिलासपुर	बिलासपुर	07752–427708 92298–28788
8.	अनिमेश कम्प्यूटर निरालानगर बस स्टेशन रोड	बिलासपुर	बिलासपुर	07752–404740 9302754329
9	SPS Training & Technology (I) Pvt. Ltd. Kamla Kutir, Jamuna Prasad Verma Bhawan, Nehru Chowk Bilaspur	बिलासपुर	बिलासपुर	07752–419144
10	आकृति इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी. ओस्जवी नर्सिग होम के सामने गुलमोहर वाटिका ,रूद्री रोड	धमतरी	धमतरी	98264–32896 93028–32896 07722–236994
11	लॉजिक गेट, नंबर–1 स्टील कालोनी जी.ई. (बाई पास रोड) स्टील कॉलोनी, नेहरूनगर पश्चिम	दुर्ग	भिलाई	93293–50154 73548–83351
12	हिमांशु इनफोटेक, 108 न्यू सिविक सेंटर	दुर्ग	भिलाई	0788–4062445 99071–83175
13	भारतीय कॉलेज (बी.आई.आई.टी.) पुलगांव चौक दुर्ग	दुर्ग	भिलाई	9826322230 93001–19838
14	पेस एकेडमी सिन्धी कालोनी डॉ सिद्द्विकी क्लिनिक के उपर स्टेशन रोड गुरूद्वारा के पास	दुर्ग	दुर्ग	0788–4013474 78983–83772

				98271—71227
15	अशरफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साई मंदिर के पास कसारीडीह	दुर्ग	दुर्ग	0788—2326540 93023—53905
16	क्रेडेन्स गर्ल्स कॉलेज पटेल कॉम्पलेक्स पदमानाभपुर	दुर्ग	दुर्ग	0788—2329922 93018—36000
17	अपोलो कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन वेटनरी कॉलेज के सामने अंजोरा	दुर्ग	अंजोरा	07882—623444 93028—34648
18	मनसा कॉलेज कोहका कुरूद रोड़ भिलाई	दुर्ग	भिलाई	0788—3201582 9893750431
19	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई	दुर्ग	भिलाई	0788—2295350 9229475290
20	भिलाई कॉलेज ऑफ आई.टी. जामुल भिलाई वार्ड 4, चंडी मंदिर वार्ड अहिरवारा	दुर्ग	भिलाई	0788—4031830 9993728325
21	रूगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी जी.ई.रोड़ गंजपारा, दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग	0788—2322552 99930—10010 92293—44424
22	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय हुडको, आमदीनगर हुडको भिलाई—दुर्ग	दुर्ग	भिलाई	0788—2241600 96857—89815
23	एम.जे.कॉलेज कोहका जुनवानी रोड	दुर्ग	भिलाई	0788—2294055 98931—20381
24	कल्यांण पी.जी. कालेज सेक्टर 07 भिलाई नगर	दुर्ग	दुर्ग	0788—223665 98271—06750
25	साइबर स्पाट बी.7 नेशनल हाईवे 12 ए. सुन्दरनगर रायपुर रोड बेमेतरा	बेमेतरा	बेमेतरा	93002— 55631 07824—222098 93002—55623
26	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्तर	बस्तर	जगदलपुर	07782—262267
27	यूनिक कम्प्यूटर ऑफ एजुकेशन जैन मंदिर रोड	बस्तर	जगदलपुर	07782—226632 94252—61196
28	सूर्या कॉलेज, गीदम रोड	बस्तर	जगदलपुर	97555—29670
29	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जशपुर	जशपुर	जशपुर	07763—223197
30	शर्मा कम्प्यूटर्स करबला चौक	जशपुर	जशपुर	07763—223600 94252—52975
31	देव कम्प्यूटर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास	जशपुर	जशपुर	94060—27963
32	फयूचर ब्राइट कम्प्यूटर एजूकेशन कुर्मी छात्रावास बस स्टेन्ड के पास कवर्धा	कवर्धा	कवर्धा	93004—29449 7566643699
33	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरबा	कोरबा	कोरबा	07759—225328
34	राहेन कम्प्यूटर निहारिका टॉकिज के पास	कोरबा	कोरबा	07759—226144 81035—23771
35	Education Planet Infront of DD Market ,P.H Road	कोरबा	कोरबा	9425226685
36	(ICDE) कम्प्यूटर एजुकेशन, Opp Bunkar Society ,Amapara, Raipur	रायपुर	रायपुर	7587145303
37	शिवांता टेक्नालॉजी बिंदा सोनकर स्कूल के सामने, अश्वनी नगर	रायपुर	रायपुर	94079—02100 98061—06161
38	श्रीराम कालेज सारागांव, खरोरा रोड, रायपुर	रायपुर	रायपुर	8349061390 8889538957
39	सेन्ट्रल कालेज ऑफ आई.टी. आर.आई.एफ. बिल्डिंग फाफाडीह मेनरोड, रायपुर	रायपुर	रायपुर	9425208200 9425208100
40	महात्मा गांधी कॉलेज गुरूद्वारा के पीछे स्टेशन रोड	रायपुर	रायपुर	0771—4047124 94252—04469
41	रूंगटा एजुकेशन कैम्पस नंदनवन के पास वीरसावरकर	रायपुर	रायपुर	0771—6666666

	नगर रायपुर			92291—55566
42	सी.आई.टी. बी. एड कालेज, NH-43, भेलवाडीह, नया रायपुर	रायपुर	रायपुर	9993—234891 9826—444494
43	गुरूकुल इंस्टीट्यूट केसोछोर रोड़ प्लाट नं. 991/1	गरियाबंद	गरियाबंद	07706220325 9893388446
44	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंस जनपद कार्यालय के पीछे	गरियाबंद	गरियाबंद	07706—241502 99815—21776 99932—43702
45	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़	राजनांदगांव	खैरागढ़	07820 — 234204
46	अरिहंत कम्प्यूटर एजुकेशन दिग्विजय कालेज रोड़ सोनार पारा त्रिपूरा किराना के सामने विजन इन्फोटेक के सामने	राजनांदगांव	राजनांदगांव	07744—409555 93292—52329
47	सी—टेक कम्प्यूटर एजुकेशन बालेराय स्टेडियम के सामने मेनरोड	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	07819—244288 93010—30379
48	जगरानी देवी शिक्षा महाविद्यालय बारद्ववार	जांजगीर चांपा	बारद्ववार	07757—278421 94790—38751
49	नोबल कम्प्यूटर, राजीव चौक, मेन रोड	नारायणपुर	नारायणपुर	94255—18385
50	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांकेर	कांकेर	कांकेर	07868—224543
51	नेशनल कम्प्यूटरर्स चर्च के पास	कांकेर	कांकेर	98278—87087 94252—61817
52	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धर्मजयगढ़	रायगढ़	धर्मजयगढ़	07766—266250
53	प्रोग्रेसिव कम्प्यूटर गुरूनानक स्कूल के पास कोस्टापारा नयागंज	रायगढ़	रायगढ़	07762—225540 94252—52051 74897—15491
54	इण्डियन कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट स्टेशन रोड के पास	महासमुंद	म्हासमुंद	07723—222121 98265—17661 94252—15613
55	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद	महासमुंद	महासमुंद	07723—224781
56	ट्रैक कम्प्यूटर साडा काम्पलेक्स ए—12 बस स्टैण्ड	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	07856—252324
57	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	07856—252283, 252284
58	VII Tech Computer College C/o नाईसटेक कम्प्यूटर कॉलेज, झगराखण्ड रोड, विवेकानंद कॉलेज के पास मनेन्द्रगढ कोरिया	कोरिया	मनेन्द्रगढ	07771—241927 93015—87039
59	एनेक्स कम्प्यूटर एजुकेशन गायत्री मंदिर काम्प्लेक्स पैलेस रोड	रायगढ़	सारंगढ़	07768—233902 93009—60024
60	SAIT कम्प्यूटर मारिया कालोनी शासकीस अस्पताल के सामने पत्थलगांव	जशपुर	पत्थलगांव	07765—234000 94241—83777 9993443101
61	ज्ञानदीप हायर सेकेण्डरी स्कूल, जांजगीर	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	07817—222656 94252—30436

4. आवश्यक दिशा निर्देश –

(A) **अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश** – ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया एस.सी.ई.आर.टी. http://scert.cg.gov.in एवं MKCL के वेबसाइट में होगी। बी.एड. के लिए MKCL का बेबसाइट http://oasis.mkcl.org/cgbed2015 है।

1- MKCL केन्द्रों की सूची एस.सी.ई.आर.टी.के वेबसाइट में दी गई है। इसमे परिवर्तन होने की स्थिति में समाचार पत्रों में उल्लेख किया जायेगा। इसका अध्ययन अवश्य कर लेवें।

2- विकल्प फार्म भरने के लिए समयसारणी की जानकारी प्री.बी.एड. के परिणाम घोषित होने के पश्चात् राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में प्रकाशित किये जायेंगे।

3- अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार नजदीकी MKCL केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भर सकेंगे।

4- MKCL केन्द्र में उपस्थित होने के पूर्व अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज क्रमांक 2 के अनुसार अपने साथ रखना होगा।

5- विकल्प फार्म का प्रारूप एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट पर दिया गया है।

(B) **MKCL केन्द्र में जाने के बाद अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश** –

1- विकल्प फार्म में दी जाने वाली जानकारियाँ भरें तथा भरी हुई जानकारी का मिलान संलग्न प्रमाण पत्रों से कर लेवें।

2- विकल्प फार्म अभ्यर्थी की उपस्थिति में ही ऑनलाइन भरा जाना है। इसके लिए केन्द्र प्रभारी का सहयोग लेवें।

3- प्री.बी.एड. की अंक सूची में निम्नलिखित जानकारी व्यापम् द्वारा ली जाती है जैसे– नाम, उपनाम, जाति, आरक्षित श्रेणी व स्नातक के प्राप्तांक को देख लेवें, सही है तो विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया करें। यह ध्यान रखें कि व्यापम् द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा बेस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा सुधार एस.सी.ई.आर.टी.द्वारा नहीं किया जावेगा।

4- इसके पश्चात् **MKCL** केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी तथा भरे गये विकल्प फार्म की ऑनलाइन एन्ट्री करेंगे। अभ्यर्थी की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद 2 प्रिन्ट आउट निकालें। दोनों प्रिन्ट आउट का अभ्यर्थी को अवलोकन करायें।

5- किसी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में उसे ऑनलाइन ठीक करने के पश्चात् दुबारा प्रिन्ट आउट निकलवायें।

6- अभ्यर्थी के सन्तुष्ट होने के पश्चात् दोनों प्रिन्ट आउट पर MKCL केन्द्र के प्रभारी व अभ्यर्थी हस्ताक्षर करेंगे।

7- विकल्प फार्म की एक प्रति केन्द्र अपने पास अनिवार्यतः रखेंगे तथा एक अभ्यर्थी को देगें। यदि किसी कारणवश प्रिन्ट नहीं निकल रहा हो तो विकल्प फार्म नहीं भरवायेंगे।

8- अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प देवें जहाँ वे प्रवेश लेने के लिए इच्छुक है क्योंकि महाविद्यालय आबंटित होने के बाद केवल एक बार आबंटन निरस्त कराकर पुनः विकल्प फार्म भरने का प्रावधान है। प्रवेश लेने के पश्चात् महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानातंरण का कोई प्रावधान नहीं है।

9- **MKCL** केन्द्र में ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के पश्चात अभ्यर्थी को उनका **Login ID** उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस **Login ID** का पासवर्ड अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर भेजा जायेगा। अभ्यर्थी का विकल्प फार्म क्रमांक (आपशन फार्म नं.) ही उनका **Login ID** होगा।

10- आबंटन साफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है।

11- अभ्यर्थी अपने महाविद्यालय आबंटन की सूचना निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं –

I. निर्धारित दिवस को जहां विकल्प फार्म भरा है, उस केन्द्र में पहुँचकर एवं वहाँ सूची देखकर।

II. एस.सी.ई.आर.टी. के **Websit : http://scert.cg.gov.in** में तथा बी.एड. के लिए **MKCL** के **websit http://oasis.mkcl.org/cgbed2015**, मे अपना विकल्प फार्म क्रमांक submit कर देख सकते हैं।

III. अभ्यर्थी के चयन की सूचना एवं चयन होने पर अभ्यर्थी का अस्थाई आबंटन पत्र अभ्यर्थी को उसके **Login ID** पर उपलब्ध कराई जायेगी। चयन की किसी प्रकार की सूचना डाक के द्वारा नहीं दी जायेगी।

IV. अभ्यर्थी अपना मोबाइल नं. डाला हो तो एस.एम.एस. द्वारा भी उन्हें जानकारी प्राप्त हो सकती है मगर एस.एम.एस.नहीं मिलने पर इसकी जवाबदारी एस.सी.ई.आर.टी. की नहीं होगी।

12- महाविद्यालय आबंटित होने के पश्चात् MKCL के साइट में आबंटन पत्र के विकल्प में जाकर अपना Application No. या प्री.बी.एड. परीक्षा का रोल नम्बर डालकर अभ्यर्थी अपना अस्थाई आबंटन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अस्थाई आबंटन पत्र इंटरनेट से कहीं भी निकाला जा सकता है। अपने **Login** में विकल्प फार्म क्रमांक/प्री.बी.एड. रोल नम्बर Submit कर भी आबंटन पत्र प्राप्त कर सकता है।

(C) चयनित अभ्यर्थी का महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित होने की प्रक्रिया –

1. राज्य के बाहर के आबंटित अभ्यर्थियों को आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
2. अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय में अस्थाई आबंटन पत्र एवं जिन दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति विकल्प फार्म के साथ संलग्न किए गए थे, उसके मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में प्रवेश लेना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
3. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर निर्धारित अवधि में उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
4. अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। मूल दस्तावेज सही पाये जाने पर अभ्यर्थी से निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जावेगा। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को डज्ञब्स के वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है तथा ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद अनिवार्यतः प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद नहीं होने की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
5. महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लेवें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता तथा चयन निरस्त कराने की सूचना भी नहीं देता है तो उसका चयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
8. MKCL के वेबसाइट पर महाविद्यालय अपना कॉलेज आई. डी. व पासवर्ड इंटर कर login करें तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों की जानकारी निरंतर अपडेट करते रहें। महाविद्यालय के आबंटित सभी अभ्यर्थियों को बाइडिफाल्ट प्रवेशित माना जाता है। संबंधित महाविद्यालय में सीटों की रिक्तियों के आधार पर दूसरे चरण के सीट्स आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

5. द्वितीय चरण की काउंसलिंग –

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिए द्वितीय चरण में वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जो प्रथम चरण में थी। इसके प्रकार निम्नलिखित हैं –

4.1. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् आबंटित महाविद्यालय/MKCL केन्द्र में जाकर प्रवेश निरस्त करा चुके हैं –

1. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित महाविद्यालय बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है। परन्तु यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय/**MKCL** केन्द्र में जाकर अपना प्रवेश निरस्त कराना होगा। ऐसा करने पर द्वितीय चरण के आबंटन हेतु प्रथम चरण में आबंटित

महाविद्यालय शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विकल्प फार्म एवं निर्धारित राशि का बैक चालान बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह अवसर अभ्यर्थी को एक ही बार दिया जाएगा।

2. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपने पूर्व आबंटित महाविद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें एक बार विकल्प परिवर्तन का मौका दिया जाएगा। यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को उसी **MKCL** केन्द्र में पुनः जाकर विकल्प फार्म भरना एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाना अनिवार्य है।

4.2. **ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परन्तु आबंटन नहीं हुआ था –**
ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें निर्धारित राशि का बैक चालान जमा करना होगा। यदि विकल्प नहीं बदलना चाहते हैं तो उन्हें चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे।

4.3. **तीन चरणों की काउंसिलिग मेरिट क्रम में की जावेगी। काउंसिलिग हेतु प्रत्येक चरण के लिए रैंक अनुसार स्लेब तैयार किया जावेगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से दी जावेगी।**

4.4. ऐसे अभ्यर्थी जो किसी चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे वे बाद के चरणों में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को प्रथम चरण के निर्देशों का पालन करना होगा।

4.5. प्रत्येक चरण में विकल्प भरने की अंतिम तिथि के अगले दिन उस चरण हेतु शामिल किये जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों की सूची डझब्∽ के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस सूची में अपना नाम देख लें।

6. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

7. बी.एड. पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में सीटों का आरक्षण शासन के वर्तमान में लागू आरक्षण नियम के तहत होगा।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

B.Ed. Admission Process 2015-16 Option From Pre - B.Ed Exam

1. Pre – B.Ed. Exam Roll No. [ ]

2. Overall Rank [ ]

3. Mark Obtained in Pre B.Ed. Exam [ ]

Recent passport size photograph

Personal Details

4. Are You Domicile of Chhatisgarh Yes [ ] No [ ]

5. APPLICANT Full Name [ ]

6. Gender Male [ ] Female [ ] . Date of Birth [D] [D] [M] [M] [YYYY]

8. Phone No. [STD] [ ] 9. Mobile No. [ ]

10. Email [ ]

Reservation Details For Chhattisgarh Domicile only - (Tick (√) Appropriate Details)

11. Reservation CategoryGENERAL [ ] SC [ ] ST [ ] OBC [ ]

12. Are you physical Handicap ? Yes [ ] No [ ]

13. Are you Son/grandson/daughter/granddaughter of Freedom Fighter ? Yes [ ] No [ ]

14. Are you Son/daughter of Ex-Serviceman (Bhutpurva Sainik) ? Yes [ ] No [ ]

Eligibility

At Degree or Post Graduate level minimum qualifying marks 50% for General category candidates and minimum 45% for Reserved category candidates of Chhattisgarh are required for admission to B.Ed. Course.

Eligibility Criteria	At Degree Level		At Post Graduate Leve	
	Tick (√)	Percentage	Tick (√)	Percentage
Whichever Applicable				

At degree or post graduate leve minimum qualifying marks for general category candiaate is 50% but for reserve category candidate of chhattisgarh minimum qualifying marks will by 45%

Graduation Details

Name of the Graduation Degree Completed

Name of the Collegel/Study Center

State in Which Collegel/Study Center is Located

Name of the University for Degree

Write the Academic Year wise Mark details

Sr. No.	Year	Month and Year of Passing	Marks Obtained	Out of
1	First Year			
2	Second Year			
3	Third Year			
4	Additional (If any)			

Aggregate Marks as shown on University Mark List/Mark Memo of graduation degree –

Marks	Out of	Percentage	Month and Year of Passing	Class Obtained

Post Graduation Details

Are you Post Graduate Yes No

Name of the P G Degree

Total Marks of Post Graduate Degree	Out of	Percentage	Month and Year of Passing

Challan Details

Bank Transaction Number Challan Amount City Name

Challan Date Bank Name Branch Name

College Preferences

Enter College Code

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35

36		**37**		**38**		**39**		**40**	
41		**42**		**43**		**44**		**45**	
46		**47**		**48**		**49**		**50**	
51		**52**		**53**		**54**		**55**	
56		**57**		**58**		**59**		**60**	
61		**62**		**63**		**64**		**65**	
66		**67**		**68**		**69**		**70**	
71		**72**		**73**		**74**		**75**	
76		**77**		**78**		**79**		**80**	
81		**82**		**83**		**84**		**85**	
86		**87**		**88**		**89**		**90**	
91		**92**		**93**		**94**		**95**	
96		**97**		**98**		**99**		**100**	
101		**102**		**103**		**104**		**105**	
106		**107**		**108**		**109**		**110**	
111		**112**		**113**		**114**		**115**	
116		**117**		**118**		**119**		**120**	
121		**122**		**123**		**124**		**125**	
126		**127**		**128**		**129**		**130**	
131		**132**		**133**		**134**		**135**	

Declaratlion

I herby declare that all the information furnished by me in this Option Form is true and complete to the best of my knowledge and belief. I understand that entries made by me in this Option Form are final and binding on me. I further declare that in the B.Ed. Admission process if any information being found false or incorrect I shall be liable for action taken by Director, SCERT.

Place : -
Date :-

Signature of Candidate

इसका उपयोग बी.एड. हेतु चालान बनवाने के लिए कर सकते हैं।

CHALLAN FOR Pre B.Ed COUNSELLING

CANDIDATE COPY

State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur

SBI Power Jyoti A/c No 32402468895

Date ……………………………………

Pre B.Ed.2015 Roll. No. ………………

Name of Applicant ………………………

…………………………………………

Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 350/- (Rs. Three Hundred Fifty Only)

Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Only) to be deposited separately

Signature of Depositor …………………..

SBI Branch Name ………………………...

Amount deposited ………………………...

SBI Reference/Transaction No.......................
(To be Filled by Bank)

Bank"s Seal & Authorized Signature

CHALLAN FOR Pre B.Ed COUNSELLING

SCERT COPY

State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur

SBI Power Jyoti A/c No 32402468895
Date ……………………………………

PreB.Ed.-2015 Roll No. ………………....

Name of Applicant ………………………

…………………………………………

Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 350/- (Rs. Three Hundred Fifty Only)

Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Only) to be deposited separately

Signature of Depositor ………………

SBI Branch Name ……………………

Amount deposited ……………………

SBI Reference/Transaction No.....................
(To be Filled by Bank)

Bank"s Seal & Authorized Signature

CHALLAN FOR Pre B.Ed COUNSELLING

BANK COPY

State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur

SBI Power Jyoti A/c No 32402468895
Date ……………………………………

PreB.Ed.-2015 Roll No. …………………........
Name of Applicant ………………………

……………………………………………..

Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 350/- (Rs. Three Hundred Fifty Only)

Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Only) to be deposited separately

Signature of Depositor ……………………

SBI Branch Name …………………………

Amount deposited …………………………

SBI Reference/Transaction No...........................
(To be Filled by Bank)

Bank"s Seal & Authorized Signature